

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-51/2017-18

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
24.07.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अगली तिथि 05.08.2017 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 05.08.2017 को उपस्थापित करें।	
05.08.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 654 दिनांक 02.08.2017 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। जांच प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर से स्पष्ट जांच प्रतिवेदन की मांग दिनांक 12.09.2017 तक करें। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को इस कार्यालय के पत्रांक 225/रा०न्या० दिनांक 18.08.2017 से संशोधित जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। अभिलेख 12.09.2017 को उपस्थापित करें।	
12.09.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अगली तिथि 18.10.2017 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 18.10.2017 को उपस्थापित करें।	
18.10.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अगली तिथि 29.11.2017 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 29.11.2017 को उपस्थापित करें।	
29.11.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अगली तिथि 19.12.2017 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 19.12.2017 को उपस्थापित करें।	
19.12.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अगली तिथि 12.01.2018 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 12.01.2018 को उपस्थापित करें।	
12.01.2018	अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 10 दिनांक 04.01.2018 द्वारा दिनांक 12.01.2018 को संशोधित जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक 1. श्री हिरा लाल महतो, 2. संतोष महतो, दोनों के पिता स्व० अभिनाथ महतो, ग्राम-धातकीडीह, वार्ड सं०-15, पोस्ट-चक्रधरपुर, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की	

धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-नगरपालिका, चक्रधरपुर, खाता नं०-13, प्लॉट नं०-324, रकवा-0.07 ए०, ^{223 अ० 18}क्रेता श्री हीरालाल महतो, पिता-स्व० गणेश महतो, ग्राम-पोटका, महतो टोला, पोस्ट-चक्रधरपुर, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।

जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक 1. श्री हिरा लाल महतो, 2. संतोष महतो, दोनों के पिता स्व० अभिनाथ महतो के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास 4,00,000/- (चार लाख) रुपये में बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।

विक्रेता एवं क्रेता अंचल एवं थाना-चक्रधरपुर के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों "कुर्मी" (अ.पि.वर्ग) समुदाय के सदस्य हैं।

विक्रेता उक्त वर्णित भूमि मकान बनाने हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को जीविकोपार्जन हेतु रकवा-0.07 ए० भूमि अवशेष के रूप में बचती है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता श्री हीरालाल महतो, पिता-स्व० गणेश महतो, ग्राम-पोटका, महतो टोला, पोस्ट-चक्रधरपुर, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पक्ष में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत उक्त भूमि हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

लेखापित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

Devi
12.1.18
भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर